

संख्या:-शिक्षा-एच(21)ए(1)पी.एस-16/2017-सामान्य निर्देश

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर)

हिमाचल प्रदेश।

Tel.No:-0177-2653120,Ext:234,E-mail:-genbr@rediffmail.comFax:0177-281282

शिक्षा निदेशालय उच्चतर

02 APR 2019

दिनांक : शिमला-171001

अप्रैल 2019

सेवा में

समस्त जिला उप-शिक्षा निदेशक (उच्चतर)  
हिमाचल प्रदेश।

विषय:-

कार्यालय आदेश।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में इस निदेशालय के पत्र संख्यां सम-दिनांक 18.03.2019 के अन्तर्गत जारी कार्यालय आदेश में आपको प्रत्येक निजी स्कूलों को अधिनियम 1997 व नियम 2003 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्रावधानों के अनुसार स्कूल की फीस के सन्दर्भ में, स्कूलों में पीटीओए गठित करने, बिना उचित अनुमति के स्कूलों में किताबें, कापियाँ, बर्दी व जुते आदि न बेचने तथा निजी स्कूलों द्वारा School Tours & Trips के नाम पर बसूल की जा रही धनराशि के सन्दर्भ में शैक्षणिक टूर प्रोग्रम अभिभावकों की सहमति से बनाने व टूर प्रोग्रम छात्रों के लिए अनिवार्य के बजाए स्वैच्छिक करने के सम्बन्ध में समस्त निजी स्कूलों के प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों/मुख्याध्यापकों को निर्देश जारी करने के आदेश दिये गये थे।

उक्त सन्दर्भ में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि यदि उक्त निर्देशों की अवहेलना के सन्दर्भ में आपके कार्यालय में किसी भी स्कूल के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है, तो आप प्राप्त शिकायत पर अधिनियम 1997 व नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार अबिलम्ब कार्यवाही करें तथा कृते कार्यवाही से इस निदेशालय को भी अवगत करवाये।

सं० शिक्षा निदेशक उच्चतर  
हिमाचल प्रदेश।  
अप्रैल, 2019

पृष्ठांकन संख्या: सम्  
प्रतिलिपि:-

दिनांक: शिमला- 171001,

1. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. रक्षक नस्ति।

सं० शिक्षा निदेशक उच्चतर  
हिमाचल प्रदेश।

EDN-U-(A-II)/Pvt School/- 11669  
Endst No: 11669 Even

Dated: 17-04-19

Office of the, Dy Director Hr. Education Una  
Forwarded in original to all the Principal/Headmaster  
of Private SSS/HS in Una Distt for information  
& strict compliance with the order.

Dy. Director Hr. Education  
Una Distt Una(H.P)

6760  
12/4/19